कश्मीर सिंह बनाम हरनाम सिंह और अन्र के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय के विवादित फैसले और डिक्री में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। (7), वर्तमान मामले की प्राप्त करने वाली परिस्थितियों में।

(31) पक्षकारसभक विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचारणीय कोनो अन्य कानूनी बिन्दुक आग्रह या दबाव नहि देल गेल अछि।

(32) उपरोक्त कारणों के आलोक में, क्योंकि कोई योग्यता नहीं है, इसलिए तत्काल अपील को इस प्रकार खारिज कर दिया जाता है।

न्यामूर्ति नवाब सिंह के समक्ष
अनीश,-अपीलार्थी
बनाम
नसरुद्दीन कुरैशी और एक अन्य,-उत्तरदाता
2011 का एफ. ए. ओ. संख्या 2509
16 जनवरी, 2012

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923-धारा 3,4 और 19-आयुक्त ने मुआवजे की राशि रु. 81497/- देने का आदेश पारित किया जिसे आदेश व निर्णय पारित होने के 30 दिन के अंदर जमा करना है ऐसा न करने पर मुआवजे की राशि 12 प्रतीशत वार्षिक ब्याज आदेश पारित होने की तारीख से जमा करने के आदेश दिये| दावेदार ने ब्याज देने के मुद्दे पर आयुक्त के आदेश को चुनौती दी-अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।

यह स्वीकृत किया गया कि अपीलकर्ता मुआवजे की राशि रु. 81497/-अपनी चोट लगने की तारीख 30.11.2006 के एक महीने के बाद यानी की 30.12.2006 से मुआवजे राशि जमा किये जाने तक उस पर ब्याज पाने का हकदार होगा।

(पैरा 8)

---

(7) 2008 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 688: ए आई र 2008 एस सी 1749

(8)

आगे कहा गया कि प्रताप सिंह नरेन सिंह देव के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी इस न्यायालय ने मनफूल सिंह के मामले (ऊपर) में पालन किया।इस प्रकार, इन निर्णयों के बल पर, शुद्ध प्रस्ताव निम्नानुसार हैः-

i. पार्टियों के अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि दुर्घटना की तारीख है।

ii.क्षतिपूर्ति दुर्घटना की तारीख से देय हो जाती है न कि आयुक्त द्वारा निर्णय के आदेश की तारीख से, और

iii.नियोक्ता को तीस दिनों का समय दिया गया है और दुर्घटना के तीस दिनों के बाद ब्याज देना शुरू हो जाएगा।

(पैरा 6)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष गुप्ता।

सुवीर दीवान, प्रतिवादी नंबर 2-ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के लिए अधिवक्ता

न्यामूर्ति नवाब सिंह। (मौखिक)

यह की अपील आयुक्त कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, मेवात (संक्षेप में 'आयुक्त') द्वारा पारित 31 मई, 2010 के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उन्होंने प्रतिवादी नसरुद्दीन कुरैशी और ओरिएंटल बीमा कंपनी, मालिक और बीमाकर्ता के खिलाफ, क्रमशःकैंटर No. RJ-14/GA-3024 (संक्षेप में 'उल्लंघनकारी वाहन') का फैसला पारित होने के तीस दिनों के भीतर Rs. 81,497/- के मुआवजे का भुगतान करने की अनुमति दी।यह भी आदेश दिया गया कि यदि राशि इस तरह से जमा नहीं की जाती है, तो निर्णय की तारीख से Rs. 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की दर का भुगतान भी दी गई राशि पर किया जाएगा।

(2) आयुक्त द्वारा पारित निर्णय पर केवल ब्याज अनुदान के अल्प बिंदु पर ही चुनौती दी है।अपीलकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि ब्याज का भुगतान 'चोट लगने के तीस दिन बाद' से किया जाना चाहिए था, न कि 'निर्णय की तारीख से'।इस तर्क के समर्थन में, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रताप

नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबाटा और अन्य (1) मामले में और इस न्यायालय का न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मनफूल सिंह और अन्य (2) मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया।

(3) दूसरी ओर, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि आयुक्त ने ब्याज को सही ढंग से निर्धारित किया है क्योंकि इसका भुगतान दावे के निर्णय की तारीख से किया जाना था। इस तरक के समर्थन में कमला चतुर्वेदी बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी और अन्य (3) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

(4) जब इस सवाल की बात आती है कि ब्याज किस तारीख से दिया जाना है, तो श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 4 (ए) के प्रावधान स्पष्ट हैं।सबसे पहले, यह समझना होगा कि मुआवजा कर्मचारी को देय हो

जाता है और नियोक्ता उस तारीख से इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जिस दिन कर्मचारी को चोट लगी हो या मृत्यु हो, जैसा भी मामला हो।हालांकि, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) नियोक्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तीस दिनों की अवधि प्रदान करती है।यह तर्क देना गलत होगा कि आयुक्त द्वारा निर्णय पारित होने पर मुआवजा देय हो जाता है।कमला चतुर्वेदी के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ पूर्व के फैसले पर भरोसा करने के बाद राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम मुबासिर अहमद और एक अन्य (4) में यह स्वीकृत किया कि मुआवजा केवल तभी देय होता है जब आयुक्त आदेश या पुरस्कार पारित करता है।यह दृष्टिकोण प्रताप नारायण सिंह देव के मामले (उपरोक्त) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के सीधे विरोध में है।वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि मुआवजा केवल तभी देय होता है जब आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाता है और स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता हैः-

"7. अधिनियम की धारा 3 मुआवजे के लिए नियोक्ता के दायित्व से संबंधित है।उस धारा की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि नियोक्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि कर्मचारी को उसके रोजगार से

---

(1) (1976) 2 एस. सी. सी. 289
(2) 2009 एसीजे 458
(3) 2009 (1) ए. सी. सी. 60 (एससी)
(4) 2007 (2) एस. सी. सी. 349

और उसके दौरान उत्पन्न होने वाली दुर्घटना से चोट लगती है। यह नियोक्ता का मामला नहीं था कि धारा 3 की उप-धारा (5) के तहत मुआवजे का अधिकार छीन लिया गया था क्योंकि नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ नुकसान

के संबंध में दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया गया था।इसलिए नियोक्ता उस दुर्घटना से **जो** कि नौकरी से और उसके दौरान हुई थी| कर्मचारी को उपरोक्त व्यक्तिगत चोट लगते ही मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया, जो स्वीकार किया जाता है।इसलिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि धारा 19 के तहत 6 मई, 1969 के आयुक्त के आदेश के बाद तक मुआवजा देय नहीं था।इस धारा में जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि यदि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में मुआवजे का भुगतान करने के लिए किसी व्यक्ति के दायित्व के बारे में या मुआवजे की राशि या अवधि के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो समझौते की चूक में, आयुक्त द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा।इसलिए इस तर्क को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है कि चोट के संबंध में धारा 3 के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए नियोक्ता के दायित्व को खंड 19 द्वारा विचार किए गए समझौते के बाद तक निलंबित कर दिया गया था।इस प्रकार जैसे ही अपीलकर्ता को उपरोक्त व्यक्तिगत चोट लगी, अपीलकर्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, और इसके विपरीत तर्क के लिए कोई औचित्य नहीं है।"

(5) केरल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम वलसला के. और अन्य आदि।(5) , मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने प्रताप नारायण सिंह देव के मामले (ऊपर) के फैसले पर भरोसा करने के बाद निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"5. हमारा ध्यान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अलवी, 1998 (1) के. आर. एल. टी. 951 (एफ. बी.) केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले की ओर भी आकर्षित किया गया है।जिसमें पूर्ण पीठ ने समरूप प्रश्न और उपरोक्त दोनों उल्लिखित निर्णयों की जांच की।इसने यह विचार रखा कि घायल कर्मचारी उस समय मुआवजा पाने का हकदार हो जाता है जब वह श्रमिक मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विचार किए गए प्रकार की व्यक्तिगत चोटों का सामना करता है और यह है -

दुर्घटना की तारीख को देय मुआवजे की राशि, न कि 1995 में किए गए मुआवजे के कारण देय मुआवजे की राशि, जो प्रासंगिक है।केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय, इस हद तक कि यह प्रताप सिंह नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबाटा (ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 222:1976 लैब आई. सी. 222) (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की बड़ी पीठ के फैसले के अनुरूप है, सही कानून निर्धारित करता है और हम इसे मंजूरी देते हैं।"

(6) प्रताप सिंह नारायण सिंह देव के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस अदालत ने भी मनफूल सिंह के मामले (उपरोक्त) में फैसला सुनाया।इस प्रकार, इन निर्णयों के बल पर, शुद्ध प्रस्ताव निम्नानुसार हैः

(i) पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि दुर्घटना की तारीख है।

(ii) क्षतिपूर्ति दुर्घटना की तारीख से देय हो जाती है न कि आयुक्त द्वारा निर्णय के आदेश की तारीख से, और

(iii) नियोक्ता को तीस दिनों का समय दिया गया है और दुर्घटना के तीस दिनों के बाद ब्याज देना शुरू हो जाएगा और भुगतान किया जाना चाहिए।

(7) मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलकर्ता के वकील का प्रस्तुतीकरण आश्वस्त करने वाला है और अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुरूप है, और प्रतिवादी बीमा कंपनी के वकील का प्रस्तुतीकरण मान्य नहीं है।

(8) उपरोक्त दिए गए कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।अपीलकर्ता को 30 नवंबर, 2006 की तारीख से मुआवजे की राशि का हकदार

माना जाता है, जो कि 30 नवंबर, 2006 की तारीख है और उसके तीस दिन बाद यानी 30 दिसंबर, 2006 से बीमा कंपनी द्वारा मुआवजे की राशि जमा किए जाने तक उस पर ब्याज का हकदार होगा।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)